

15/03/2021

पत्तावली पेशा दुभी) वबुलाय उभय पक्ष उपर)
 वहाउ उभय पक्ष पूर्व मे खुनी जा चुकी है
 जिस पर मनन एवं पत्तावली के अवलोकन
 पश्चात जाहिर आता है कि वाद की मद
 सं. 1 में वार्डन ग्राम के 1/2 हिस्से के
 रवातेदार प्रतिवादीगण 1 लगापत 5 के मुक्त
 पिला मालासिंह पुत्र रिदपाल सिंह दर्ज रिपोर्ट
 है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही दादा
 की संताने है तथा वादग्रस्त ग्राम पैतृक
 सम्पत्ति है। वाद मे प्रतिवादी सं. 3 के पिकरु
 दिदिद रूप से एक पत्नीय कार्पवादी अमल
 में लाभी जा चुकी है तथा प्रतिवादी सं.
 1, 2, 4, 5 ने वादपत्र के समर्पन में
 इकवालिषा जबाब प्रस्तुत किया जाकर



वादी द्वारा वांछित अनुलोप को स्वीकार
दिया है तथा वाद दापरी के वक्त
जीवील वादी (दौराने वाद फौत) व
प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 द्वारा इस आशय
का राजीनामा भी तस्दीक किया हुआ है
शामिल पत्रावली है कि वादग्रस्त आराजी
का 1/2 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में
प्रति. 1 लगायत 5 के मूलक पिला के नाम
दर्ज है में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम
दर्ज कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को
कोई आपत्ति नहीं है। वादी 1/2 ने एवं
सीक जोड़ खातेदार प्रभात यादव व रामोत्तार
सिंह के शपथ पत्र व वाद के समर्थन में
प्रस्तुत किये हैं जिनसे भी वाद पत्र में
घातित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः
वादग्रस्त शूमि पेंचुब होने, वादीगण एवं
प्रतिवादीगण एक ही परिवार रवानदान


12

पुणे कायदा
सहायक कलेक्टर (फा)
सिमकाथान (सिंदूर)

के होने, प्रस्तुत राजीनामा, प्रस्तुत इकबालिका
जबाब के आधार पर वाद पत्र मंजूर
किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद
वादीगण स्वीकार किया जाकर डिडी दिया
जाता है कि राजस्व ग्राम टोडा स्थित ग्राम
रक. नं. 830, 832 किता 2 रकबा 0.51 हेक्टे.
में दर्ज खातेदार माल सिंह पुत्र रिदपाल सिंह
राजपूत हिस्सा 1/2 में से 1/2 हिस्सा (सम्पूर्ण
का 1/4 हिस्सा) का वादीगण 1/1 लगायत
1/4 को बहिस्सा बराबर - बराबर का विज
खातेदार काबतदार घोषित किया जाता है।
तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
हेतु पचा-डिडी मूर्तिब हो। घोष इन्द्राजात
बदस्तूर रहे। पत्रावली फैसल कुमार होकर
नम्बर से कम होकर दफ्तर दारकिल
हो। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया।


(विजेश कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसूत